भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1680

जिसका उत्तर 21.12.2022 को दिया जाना है

सड़क निर्माण में सरकारी-निजी साझेदारी

1680. श्री एस. कल्याणसुन्दरम:

श्री आर. गिरिराजन:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सरकारी-निजी साझेदारी (पीपीपी) के विभिन्न मॉडलों के साथ काम कर रही है और पीपीपी के तहत सड़क निर्माण के विभिन्न तरीकों के मॉडल रियायत समझौतों की लगातार समीक्षा कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) जी, हां। अनुबंध के विभिन्न तरीकों के मॉडल रियायत समझौते (एमसीए)/मानक आरएफपी की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न हितधारकों से प्राप्त इनपुट के आधार पर मानक करारों के विभिन्न खंडों में आवश्यक संशोधन किए जाते हैं। मौजूदा एमसीए में इनपुट आम तौर पर रियायतग्राहियों/ठेकेदारों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर आधारित होते हैं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ,वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), वित्तीय कार्य विभाग (डीईए), नीति आयोग और विधि कार्य विभाग (डीओएलए), के सचिवों वाली एक अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श और माननीय मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आवश्यक अनुमोदन के बाद आवश्यक संशोधन किए जाते हैं। ऊपर बताए गए ढांचे के आधार पर, हाल के दिनों में, मंत्रालय ने हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (एचएएम), निर्माण,प्रचालन-हस्तांतरण (बीओटी) (टोल), इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण (ईपीसी) और अनुबंध के टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (टीओटी) मोड के एमसीए में संशोधन किए हैं। ।

(ग) प्रश्न नही उठता।

*****